न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 103/19 वाद

श्रीमती तारा मणी पत्नी श्री राम गोपाल जी जांगिड़ (सुथार) उम्र बालिग निवासी शोभागपुरा, जिला उदयपुर (राज.)

बनाम

वादी

1. श्री भगवान पिता देवा भोई उम्र बालिग निवासी भोईयों की पंचोली, जिला उदयपुर
2. श्री अम्बालाल पिता श्री नारायण लाल मेनारिया उम्र बालिग निवासी भोईयों की पंचोली, जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 जा.दी.
श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता प्रति.संख्या 2
एवं श्री गणेशलाल डांगी अधिवक्ता वादी उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 01.08.2022

प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीया ने यह वाद मौजा भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, में स्थित आराजी नम्बर 402 से 424 कुल किता 23 रकबा 1.5150 हैक्टेयर भूमि के बंटवाडे का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में तारीख 01.07.2019 को प्रस्तुत किया है। उक्त आराजीयात व अन्य आराजीयात के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 अम्बालाल ने भगवानलाल आदि जिसमें वादीया तारामणी भी शामिल है, के विरूद्ध बटवाडा व निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय में तारीख 10.01.2008 को भगवानलाल आदि 11 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। जिसके मुकदमा नम्बर 07/2008 वाद पत्र है। वादीया मुकदमा नम्बर 07/2008 में प्रतिवादी नम्बर 2 के रूप में है। कानूनी प्रावधान के अनुसार एक ही वादवस्तु के सम्बध में उन्ही पक्षकारों के मध्य उसी दाद के लिये वाद विचाराधीन हो को दुसरा वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और यदि प्रस्तुत कर दिया गया है तो उसे हस्ब धारा 10 जा.दी. पुर्व वाद के निर्णय तक स्थगित कर देना चाहिए या इस वाद को भी पुर्व वाद के साथ कन्सोलिडेट किया जाकर एक साथ ही कार्यवाही की जानी न्याय संगत है, अलग–अलग वाद नहीं चल सकते है। फिर भी वादीया ने जानबुझकर इस तथ्य को छुपाकर यह वाद प्रस्तुत किया है, जिसकी कार्यवाही को स्थगित रखाया जाना आवश्यक है।

अतः वादी के इस वाद की कार्यवाही पुर्व में प्रस्तुत मुकदमा नम्बर 07/2008 वाद पत्र के निर्णय तक स्थगित रखायी जावे व विकल्प में यह भी निवेदन है कि इस वाद को भी पूर्व वाद मुकदमा नम्बर 07/2008 वाद पत्र, अम्बालाल बनाम भगवानलाल आदि के साथ कन्सोलिडेट फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीया को कभी कोई सम्मन नहीं मिला इसलिए प्रार्थीया को उक्त तथ्यों की जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में जिस प्रकार वर्णन

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा (उदयपुर)

क्रिया व पार्टिया 11 बनाई गई है जिससे स्पष्ट होता है कि वाद की विषयवस्तु एवं आराजीयात अलग– अलग होनी चाहिए। वादीया को कोई जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी ने बंटवाडे का वाद 2008 में किया तो अभी तक फैसला क्योंकर नहीं हुआ कार्यवाही स्थगित नहीं रखी जा सकती है।

अतः प्रार्थना पत्र व्यय सहित निरस्त कराया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सूनी गई प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्जावेजों का विस्तृत अवलोकन कर अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के बाद न्यायालय मत है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दस्तावेज सूची के साथ न्यायालय हाजा में पूर्व वाद संस्थित किया गया जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत जिसमें वादी तारामणी को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप संयोजित है। उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का राजस्व ग्राम भोईयों की पंचोली पटवार मण्डल भोईयों की पंचोली के आराजी संख्या 402 से 424 किता 23 रकबा 1.5750 हैक्टेयर एवं अन्य आराजीयात का प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से जाहिर है कि वादी तारामणी पत्नी रामगोपाल जी जागिड़ उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 2 पर संयोजित है। जिससे स्पष्टतया जाहिर है कि वादी जिस आराजी के संबंध में बंटवाडा कराने का वाद लाया है, जो पूर्व में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। समान पक्षकारान, समान रिलीफ, समान वादकारण, का एक अन्य वाद पूर्व में दर्ज होकर सक्षम न्यायालय में लंबित है। जिसे धारा 10 सीपीसी के तहत सलंग्न किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित किया जा सकता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 अम्बालाल द्वारा प्रस्तुत वाद 07/2008 वर्तमान में पॉच वर्ष से पुराना प्रकरण होने से स्थानांतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा में प्रकरण संख्या 312/2019 पर विचाराधीन के साथ सलंग्न पत्रावली किए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकद्मा 103/19 सन 2019 सीगह वाद (1) श्रीमती तारा मणी पत्नी श्री राम गोपाल जी जांगिड़ (सुथार) उम्र बालिग निवासी शोभागपुरा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1) श्री भगवान पिता देवा भोई उम्र बालिग निवासी भोईयों की पंचोली, जिला उदयपुर (2) श्री अम्बालाल पिता श्री नारायण लाल मेनारिया उम्र बालिग निवासी भोईयों की पंचोली, जिला उदयपुर (3) राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री गणेशलाल डांगी अधिवक्ता वादी एवं खेमराज डांगी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सहपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 अम्बालाल द्वारा प्रस्तुत वाद 07/2008 वर्तमान में पॉच वर्ष से पुराना प्रकरण होने से स्थानांतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा में प्रकरण संख्या 312/2019 पर विचाराधीन के साथ सलंग्न पत्रावली किए जाने के आदेश दिए जाते है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....-........ रुपये की राशि ....-........ आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....-........ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....-........ द्वारा ....-........ को दी जाए।

यह आज तारीख ..01.. माह ..08.. सन् ..2023.. को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		